

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,  
संजय कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,  
सभी सिविल सर्जन,  
बिहार।

पटना, दिनांक: 11 / 01 / 2012

विषय : अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों को ससमय मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कई श्रोतों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि व्यवसायिक एवं विशेष सेवा इकाई में आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद भी अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के मानदेय का भुगतान ससमय नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में दिनांक 02.01.12 एवं 03.01.12 को दूरभाष पर आप सभी से वार्ता हुई। अधिकांश जिले से यह सूचना दी गयी कि आवंटन की कमी नहीं है। ससमय भुगतान किया जा रहा है। कई जिले से यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि विलम्ब से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने के कारण भुगतान में विलम्ब होता है। यह स्थिति खेद जनक है।

अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक माह के 20वीं तिथि तक आपके जिले के अधिन प्रत्येक चिकित्सा केन्द्रों में जहाँ-जहाँ अनुबंध पर चिकित्सक एवं अन्य कर्मी कार्यरत हैं के नियंत्री पदाधिकारी से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त हो जाय और उस आधार पर सर्वप्रथम अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के मानदेय का भुगतान उसी माह में व्यवसायिक एवं विशेष सेवा इकाई से प्राप्त आवंटन से किया जाय। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।

व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,



(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव